"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2015—फाल्गुन 1, शक 1936

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती गायत्री साहू पति श्री दिलदार साहू, उम्र 42 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 19डी, सड़क-32, सेक्टर-10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे पति दिलदार साहू के सर्विस रिकार्ड एवं मेडिकल बुक में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती गायत्री देवी दर्ज हो गया है. मेरा वास्तविक नाम गायत्री साहू है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती गायत्री साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती गायत्री साहू पति श्री दिलदार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

श्रीमती गायत्री देवी
पति-श्री दिलदार साहू
निवासी-क्वा. नं. 19 डी, सड़क नं. 32, सेक्टर-10, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

श्रीमती गायत्री साहू
पति-श्री दिलदार साहू
निवासी-क्वा. नं. 19 डी, सड़क नं. 32, सेक्टर-10, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती स्वाती परगनिहा पति श्री हितेन्द्र परगनिहा, निवासी शांति नगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि शादी के पूर्व मुझे स्वाती गुप्ता पिता श्री गणेश प्रसाद गुप्ता निवासी-चिरमिरी, तह. खड़गवां, जिला कोरिया (छ.ग.) के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्रायविंग लायसेन्स सर्विस बुक एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 24-5-2014 को हितेन्द्र परगनिहा निवासी शांति नगर के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती स्वाती परगनिहा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती स्वाती परगनिहा पति श्री हितेन्द्र परगनिहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| स्वाती गुप्ता<br>पिता-श्री गणेश प्रसाद गुप्ता<br>निवासी-चिरमिरी, तह. खड़गवां, जिला कोरिया (छ.ग.) | श्रीमती स्वाती परगनिहा<br>पति-श्री हितेन्द्र परगनिहा<br>निवासी-शांति नगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष कुमार पिता स्व. रामगोपाल मंडावी, उम्र 45 वर्ष, निवासी-10/ए, सड़क नं. 26, सेक्टर 5, वार्ड नं. 45, सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में श्रेयश सिंह मंडावी दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम ऋत्विक मंडावी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को ऋत्विक मंडावी पिता श्री संतोष कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| श्रेयश सिंह मंडावी<br>पिता-श्री संतोष कुमार<br>निवासी-10/ए, सड़क नं. 26, सेक्टर 5, वार्ड नं. 45,<br>सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) | ऋत्विक मंडावी<br>पिता-श्री संतोष कुमार<br>निवासी-10/ए, सड़क नं. 26, सेक्टर 5, वार्ड नं. 45,<br>सिविक सेन्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती वर्षा रामटेके पति श्री भारत भूषण रामटेके, निवासी-एम.आई.जी.-9/350, हुडको भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम कुमारी वर्षा राऊत आ. उमराव राऊत, छिंदवाड़ा म.प्र. (दमुआ) दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 29-1-2012 को श्री भारत भूषण रामटेके आ. जयलाल रामटेके के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती वर्षा रामटेके रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती वर्षा रामटेके पति श्री भारत भूषण रामटेके के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| वर्षा राऊत<br>पिता-श्री उमराव राऊत<br>निवासी-280, न्यू माइनर्स डबल मंजिल क्वाटर दमुआ<br>पो. दमुआ, तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) | श्रीमती वर्षा रामटेके<br>पति-श्री भारत भूषण रामटेके<br>निवासी-एम.आई.जी. 9/350, हुडको, आमदीनगर भिलाई<br>जिला दुर्ग (छ.ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नोमेश कुमार साहू आत्मज प्रमोद कुमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 16/सी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम नोमेश कुमार साहू दर्ज है परन्तु कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नोमेश कुमार दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नोमेश कुमार साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नोमेश कुमार साहू आत्मज श्री प्रमोद कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| नोमेश कुमार<br>आत्मज-श्री प्रमोद कुमार<br>निवासी-क्वा. नं. 16/सी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) | नोमेश कुमार साहू<br>आत्मज-श्री प्रमोद कुमार<br>निवासी-क्वा. नं. 16/सी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनय कुमार साहू आत्मज श्री प्रमोद कुमार, उम्र 19 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 16/सी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम विनय कुमार साहू दर्ज है परन्तु कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम विनय कुमार दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विनय कुमार साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विनय कुमार साहू आत्मज श्री प्रमोद कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| विनय कुमार<br>आत्मज-श्री प्रमोद कुमार<br>निवासी-क्वा. नं. 16/सी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) | विनय कुमार साहू<br>आत्मज-श्री प्रमोद कुमार<br>निवासी-क्वा. नं. 16/सी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई नगर<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवेन्द्र पाल सिंह तुंग (Devendra Pal Singh Tung) आत्मज स्व. जोगिन्दर सिंह तुंग, उम्र 48 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 151/1, प्रगतिनगर, मेनरोड रिसाली, बालाजी अपार्टमेन्ट के पास, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. मेरा सरनेम तुंग (Tung) है. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के पर्सनल रिकार्ड में मेरा नाम देवेन्द्र पाल सिंह (Devendra Pal Singh) आ. जोगिन्दर सिंह दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम देवेन्द्र पाल सिंह तुंग रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे देवेन्द्र पाल सिंह तुंग आत्मज स्व. जोगिन्दर सिंह तुंग के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| देवेन्द्र पाल सिंह (DEVENDRA PAL SINGH)<br>आत्मज-स्व. जोगिन्दर सिंह<br>निवासी-प्लाट नं. 151/1, प्रगतिनगर, मेनरोड, रिसाली<br>बालाजी अपार्टमेंट के पास, भिलाई नगर<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) | देवेन्द्र पाल सिंह तुंग (DEVENDRA PAL SINGH TUNG)<br>आत्मज-स्व. जोगिन्दर सिंह तुंग<br>निवासी-प्लाट नं. 151/1, प्रगतिनगर, मेनरोड, रिसाली<br>बालाजी अपार्टमेंट के पास, भिलाई नगर<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नंद कुमार विश्वकर्मा पिता श्री रिखीराम विश्वकर्मा, उम्र 53 वर्ष, निवासी प्लाट नं.-9, फेस-2, लक्ष्मीनगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी कक्षा ग्यारहवीं के अंकसूची में मेरा नाम नंद कुमार एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम नंद कुमार दर्ज है तथा मेरे आधार कार्ड में नंद कुमार विश्वकर्मा दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नंद कुमार विश्वकर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नंद कुमार विश्वकर्मा पिता श्री रिखीराम विश्वकर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| नंद कुमार (Nand Kumar)<br>पिता-श्री रिखीराम विश्वकर्मा<br>निवासी-प्लाट नं. 9, फेस-2, लक्ष्मीनगर, रिसाली, भिलाई<br>तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) | नंद कुमार विश्वकर्मा (Nand Kumar Vishwakarma)<br>पिता-श्री रिखीराम विश्वकर्मा<br>निवासी-प्लाट नं. 9, फेस-2, लक्ष्मीनगर, रिसाली, भिलाई<br>तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रमोद ठाकरे (PRAMOD THAKARE) पिता श्री महादेव राव ठाकरे, आयु 45 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 3/बी, सड़क 32, सेक्टर-5, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे बी.एस.पी. के सर्विस रिकार्ड एवं मैट्रिक के प्रमाण पत्र में मेरा नाम प्रमोद (PRAMOD) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा वास्तविक व सही नाम प्रमोद ठाकरे है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रमोद ठाकरे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रमोद ठाकरे पिता श्री महादेव राव ठाकरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| प्रमोद (PRAMOD)<br>पिता-श्री महादेव राव ठाकरे<br>निवासी-क्वा. नं. 3/बी, सड़क नं. 32, सेक्टर 5, भिलाई नगर<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) | प्रमोद ठाकरे (PRAMOD THAKARE)<br>पिता-श्री महादेव राव ठाकरे<br>निवासी-क्वा. नं. 3/बी, सड़क नं. 32, सेक्टर 5, भिलाई नगर<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) |

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 19 जनवरी 2015

**[ छ.ग. सहकारी समिति सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परि./स.प.ना./2015/42.—परिसमापनाधीन विजय ब्रिक्स एवं टाईल्स सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.टी.आर./7 दिनांक 13-03-1967 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक कु. यामिनी ओट्टी, उप अंकेक्षक द्वारा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न विजय ब्रिक्स एवं टाईल्स सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर

(छ.ग.) का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 01/2015 को समिति की देनदारी एवं लेनदारी शून्य है.

अत: मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विजय ब्रिक्स एवं टाईल्स सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ.ग.) का रजिस्ट्री क्रमांक/ए.आर./बी.टी.आर./7 दिनांक 13-03-1967 को रद्द करने का आदेश पारित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

नारायणपुर, दिनांक 19 जनवरी 2015

**[ छ.ग. सहकारी समिति सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 1 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परि./स.प.ना./2015/43.—परिसमापनाधीन आदिवासी विकास सहकारी समिति मर्यादित, सोनपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.टी.आर./370 दिनांक 11-01-1996 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक श्री टी. आर. नागेश, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न आदिवासी विकास सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर (छ.ग.) का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 01/2015 को समिति की देनदारी एवं लेनदारी शून्य है.

अत: मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदिवासी विकास सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.टी.आर./370 दिनांक 11-01-1996 को रद्द करने का आदेश पारित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

नारायणपुर, दिनांक 19 जनवरी 2015

**[ छ.ग. सहकारी समिति सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 1 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परि./स.प.ना./2015/44.—परिसमापनाधीन प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्यादित, नारायणपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.टी.आर./267 दिनांक 27-03-1992 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक श्री हेमंत कुमार कुर्राम, उप अंकेक्षक द्वारा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ.ग.) का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 01/2015 को समिति की देनदारी एवं लेनदारी शून्य है.

अत: मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.टी.आर./267 दिनांक 27-03-1992 को रद्द करने का आदेश पारित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

नारायणपुर, दिनांक 19 जनवरी 2015

**[ छ.ग. सहकारी समिति सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 1 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परि./स.प.ना./2015/45.—परिसमापनाधीन बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित बेड़माकोट (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.टी.आर./44 दिनांक 30-11-1959 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक श्री पी. एस. ध्रुव, उप अंकेक्षक द्वारा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित बेड़मोकोट (छ.ग.) का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 01/2015 को समिति की देनदारी एवं लेनदारी शून्य है.

अत: मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित बेड़माकोट (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.टी.आर./44 दिनांक 30-11-1959 को रद्द करने का आदेश पारित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

नारायणपुर, दिनांक 19 जनवरी 2015

**[ छ.ग. सहकारी समिति सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 1 ) के अंतर्गत ]**

क्रमांक/परि./स.प.ना./2015/46.—परिसमापनाधीन ईट, खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.टी.आर./21 दिनांक 27-01-1987 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक कु. यामिनी ओट्टी, उप अंकेक्षक द्वारा कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न ईट, खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ.ग.) का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 01/2015 को समिति की देनदारी एवं लेनदारी शून्य है.

अत: मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ईट, खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक ए.आर./बी.टी.आर./21 दिनांक 27-01-1987 को रद्द करने का आदेश पारित करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

**एस. एन. बघेल,**
सहायक पंजीयक.

---

## कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/75.—विकास महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मोपका, पं. क्र. 109 दिनांक 26-04-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2040 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् विकास महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मोपका, पं. क्र. 109 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमती मीनू अग्रवाल उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/76.—महिला बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 478 दिनांक 14-09-1994 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2305 दिनांक 12-11-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् महिला बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 478 को परिसमापन में लाता हूं तथा कु. गोधुली वर्मा, सहकारी निरीक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/77.—शक्तिदाई कामगार सहकारी समिति मर्या. बिटकुला, पं. क्र. 272 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/1954 दिनांक 07-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् शक्तिदाई कामगार सहकारी समिति मर्या. बिटकुला पं. क्र. 272 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. सी. ध्रुव, सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/78.—भवानी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बसिया, पं. क्र. 122, दिनांक 02-11-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2588 दिनांक 15-12-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् भवानी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बसिया पं. क्र. 122 को परिसमापन में लाता हूं तथा कु. गोधुली वर्मा, सहकारिता निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/196.—वैष्णवदेवी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अमेरी, बिलासपुर, पं. क्र. 3915, दिनांक 29-09-1998 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2052 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् वैष्णवदेवी महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. अमेरी, बिलासपुर, पं. क्र. 3915 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति सिमरन टेकचंदानी, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/197.—दक्षिण पूर्व रेल्वे वेन्डर साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, पं. क्र. 3531, दिनांक 20-07-1994 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2055 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् दक्षिण पूर्व रेल्वे वेन्डर साख सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर, पं. क्र. 3531 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शिवानी मुले, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/198.—दी टेलीग्राफ इम्प्लाइज साख सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर, पं. क्र. 3140, दिनांक 24-07-1985 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2056 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् दी टेलीग्राफ इम्प्लाइज साख सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर, पं. क्र. 3140 दिनांक 24-7-1985 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति श्वेता दुबे, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/199.—गुरू अमरदास खनिज सहकारी समिति मर्या. किरारीगोढ़ी (बिटकुली), पं. क्र. 125, दिनांक 29-01-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2041 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग.

सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् गुरू अमरदास खनिज सहकारी समिति मर्या., किरारीगोढ़ी (बिटकुली), पं. क्र. 125 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/200.—मां काली महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. तिफरा, बिलासपुर, पं. क्र. 244, दिनांक 25-04-2007 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2046 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् मां काली महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तिफरा, बिलासपुर, पं. क्र. 244 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति श्वेता दुबे, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/254.—शिवशंकर महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. यदुनंदननगर, बिलासपुर, पं. क्र. 3938, दिनांक 21-06-1999 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2047 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् शिवशंकर महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. यदुनंदननगर, बिलासपुर, पं. क्र. 3938 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शिवानी मुले, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/277.—प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. इंदिरानगर, बिलासपुर, पं. क्र. 231, दिनांक 14-12-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2055 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. इंदिरानगर, बिलासपुर, पं. क्र. 231 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/304.—जागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बेलगहना, पं. क्र. 190, दिनांक 31-10-2005 विकासखण्ड कोटा, जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2048 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् जागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बेलगहना, पं. क्र. 190, दिनांक 31-10-2005 विकासखण्ड कोटा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एन. आर. भगत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/305.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चोरभट्ठीकला, पं. क्र. 193, दिनांक 31-01-2005 विकासखण्ड तखतपुर, जिला-बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2048 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चोरभट्ठीकला, पं. क्र. 193, दिनांक 31-01-2005 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एन. आर. भगत, सहकारिता विस्तार अधिकारी, तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

**डी. आर. ठाकुर,**
उप पंजीयक.

---

## कार्यालय परिसमापक, महामाया महिला साख सहकारी समिति मर्या. शंकरनगर, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्रमांक/परि./2014/Q.—कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलसपुर (छ.ग.) के आदेश क्र./परि./2014/2431 बिलासपुर दिनांक 27-11-2014 द्वारा समिति का नाम महामाया महिला साख सहकारी समिति मर्या. शंकरनगर, बिलासपुर क्र. 246 दिनांक 13-07-200 को परिसमापन में लाया गया. छ.ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

**आर. डी. केशरवानी,**
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी समिति मर्या., बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

क्रमांक/परि./2014/Q.—छ.ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत् परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि महिला साख सहकारी समित मर्यादित चाटीडीह बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 214 दिनांक 04-03-05 के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

**शोभा बन्दे,**
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.